(सत्यप्रतिलिपि)

न्या.–अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ.ग.

(आदेश दिनांक 10/11/2020)

ज.या.क. 262/2020

भागीरथी जोशी पिता स्व. श्री कलीराम जोशी,
आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम रावनगुड़ा,
थाना अर्जुनी, तहसील धमतरी,
जिला धमतरी(छ.ग) ....आवेदक/अभियुक्त

–विरूद्ध–

छ0ग0 शासन, ...अनावेदक/अभियोजन

10-11-2020 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्र. 79/विविध/दो–14–01/2020 बिलासपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के परिपेक्ष्य में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के विविध आदेशानुसार जमानत प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा श्री राजकुमार सोनी, अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री गजानन मीनपाल, लोक अभियोजक।

प्रकरण जमानत आवेदन धारा 439 दं.प्र.सं. पर तर्क एवं केस डायरी हेतु नियत है।

आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्षों को सुना गया आवेदन पत्र के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया है कि उसके विरूद्ध आरक्षी केन्द्र भखारा द्वारा अपराध क्र. 135/2020, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया है। वह पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वह जमानत पर रिहा होना चाहता है तथा जमानत पर रिहा होने के पश्चात् न्यायालय के समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। उसके द्वारा पेश आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी सक्षम न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर में लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है। अतः जमानत की सुविधा प्रदान किया जावे।

श्री गजानन मीनपाल, लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर

प्रकृति की है। अभियुक्त के आधिपत्य से 5 ब्लक लीटर से अधिक शराब जप्त किया गया है। अतः जमानत की सुविधा प्रदान न किया जावे।

आवेदका की ओर से आवेदन के समर्थन में कुमार कोशरिया का शपथ पत्र पेश किया गया है जिसके अनुसार पेश जमानत आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है। आरक्षी केन्द्र भखारा की केस डायरी के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध थाना भखारा के द्वारा अपराध क्रमांक–135/2020, धारा– 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। अभियुक्त पर धारा–34(2) आबकारी अधिनियम के तहत् यह आरोप है कि दिनांक 07.11.2020 को दरम्यानी 19:30 बजे ग्राम डोमा, डोमा से खम्हरिया रोड तालाब के पास थाना भखारा, जिला धमतरी में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के 35 पौवा देशी प्लेन मदिरा अवैध रूप से बिक्री हेतु रखा हुआ था।

''छ0ग0 आबकारी अधिनियम की धारा 59–क(2) के अनुसार यह प्रावधान है कि धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड–(क) या खण्ड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध में अभियुक्त हैं को जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पायी गई मदिरा की मात्रा 5 बल्क लीटर से अधिक हो, जमानत पर या स्वयं उसके बंद पत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि न्यायालय का यह समाधान न हो जाये कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ऐसे अपराध करने का दोषी नहीं है और यह कि जब वह जमानत पर हो, तब यह संभावना नहीं है कि वह कोई अपराध करेगा''।

केस डायरी के अनुसार अभियुक्त के आधिपत्य से 5 बल्क लीटर से अधिक मात्र 6.00 बल्क लीटर देशी प्लेन मदिरा जप्त किया गया है। आरोपी दिनांक 07.11.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आरोपित अपराध मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास से दंडनीय न होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। वर्तमान में विश्व कोविड–19 संक्रमण का प्रकोप फैला हुआ है। अतः न्याय दृष्टांत Banti Singh V. State of Chhattisgarh (M.Cr.C.No.6846 of 2014) के आलोक में प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की ओर से पेश जमानत आवेदन स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आरोपी की ओर से 25,000/– रूपये का सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी की संतुष्टि योग्य, गवाहों एवं विवेचना को प्रभावित न करने व अपराध

की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त पर पेश किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

आदेश की प्रति सहित थाना भखारा की केस डायरी वापस प्रेषित किया जावे।

जमानत प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

सही/–
(ग्रेगोरी तिर्की)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आदेश की प्रति सहित थाना भखारा की केस डायरी वापस भेजी जावे।
3. लोक अभियोजक, धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।

(ग्रेगोरी तिर्की)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)